न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 07/2019
जीसीएमएस : 2019/00139

1. भगवानाराम पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वरी देवी पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. सरस्वती देवी पुत्री स्व. हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
3. मांगीलाल पुत्र सरोज (मृतक) पत्नी ओपप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. जगदीश पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज. ।
5. रिछपाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
6. निहालचन्द्र पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. पृथ्वीराज पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
8. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
9. शिवप्रकाश पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
10. सरपंच ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

रजू दिनांक 20.05.2019

उपस्थित अधिवक्ता गणः–

1. श्री सुशील कुमार गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1–5 ता 9।
3. श्री अमित कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3।
4. एकपक्षीय कार्यवाही रेस्पोडेंट सं. 2–4।

दिनांक : 27.10.2025

–: <u>निर्णय</u> :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इंस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद एवं प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 114/324 मु.नं. 28 में 3.642 है. नहरी मय खाला व प.नं. 115/324 मु.नं. 27 में 1.924 है. कमाण्ड भूमि खाता संख्या 52/42 व प.नं. 115/24 में मु.नं. 27 की 0.455 है. भूमि व 0.051 है. खाला कुल 0.506 है. मय खाला भूमि [illegible] मय खाला भूमि व इसके अलावा चक 2 एलसी तहसील रायसिंहनगर [illegible] 7/337 मु.नं. 11 की 2.783 है. नहरी मय खाला भूमि खाता [illegible] दोनों चकों की कुल 8.855 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि थी जिसकी [illegible] मेरे पिता ने अपने होशों–हवास में दिनांक 26.04.2003 को उपरोक्त भूमि के संबंध में अपने छः पुत्रों रिछपाल, निहालचन्द्र, पृथ्वीराज, भगवानाराम, राजेन्द्र [illegible] शिवप्रकाश व अपने दोहिता मांगीलाल के हक में इस प्रकार से निष्पादित की थी (क) रिछपाल पुत्र श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

हनुमान जाति बिश्नोई के नाम चक 4 बीबीएम तहसील रायसिंहनगर की मु.नं. 27 प. नं. 115/324 के कि.नं. 1/0.253, यानि 0.227 है. भूमि 0.026 है. कुल 0.253 है. व 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी मय खाला भूमि । (ख) निहालचन्द्र पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोइ साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 2 एलसी के मु.नं. 11 प.नं 137/337 के कि.नं. 15/1 की 0.126 यानि 0.114 है. भूमि व 0.012 है. खाला कुल 0.126 है., 14/2 की 0.127है., 18/0.253, 19/0.253, 23/0.253 नहरी कुल 1.012 है. नहरी भूमि मय खाला भूमि। (ग) पृथ्वीराज पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला के नाम चक चक 2 एलसी के मु.नं. 11 प.नं 137/337 के कि.नं. 11/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी भूमि। (घ) भगवानाराम पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिहनगर के नाम चक 4 बीपीएम के मु.नं. 27 प. नं. 115/324 के कि.नं. 2/0.228 है. भूमि व 0.025 है. खाला कुल 0.253 है. मय खाला, 9/0.253, 12/0.253, 19/0.253 कुल 1.012 है. नहरी मय खाला भूमि । (ङ) राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 4 बीपीएम के मु.नं. 28 प.नं. 114/324 के कि.नं. 3/0.227 है. भूमि, 0.026 है. खाला कुल 0.253, 4/0.114 है. भूमि 0.013 है. कुल 0.253, 14/0.126, 17/0.126, 18/0.253, 23/0.202, 24/0.101 नहरी मय खाला व कुल 1.821 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 27 प.नं. 115/324 के कि.नं. 21/0.253 नहरी दोनों मुरब्बों की कुल 2.024 है. नहरी भूमि। (च) शिवप्रकाश पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 4 बीपीएम के मु.नं. 28 प.नं. 114/324 के कि.नं. 5/0.228 भूमि 0.025 है. कुल 0.253 है., 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 4 कि 0.114 है. भूमि व 0.012 है. खाला कुल 0.126 है. 7/0.126, 14/0.127, 24/0.101, 17/0.127, 25/0.202 कुल 1.821 है. नहरी मय खाला भूमि व मु.नं. 27 प.नं. 115/324 के कि.नं. 22/0.203 नहरी दोनों मुरब्बों में कुल 2.024 है. नहरी मय खाला भूमि। (छ) दोहिते मांगीलाल पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन डाबला तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 2 एलसी के मु.नं. 11 प.नं. 137/337 के कि.नं. 5/0.228 भूमि व 0.025 खाला कुल 0.253, 6/0.228 भूमि व 0.025 खाला कुल 0.253 है. 7/0.253 है. कुल 0.759 है. नहरी मय खाल भूमि। उपरोक्त वसीयत उपपंजीयक मुकलावा में करवाई गई थी। मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 08.01.2014 को हो गई थी, वसीयत की असल प्रति मेरे भाइयों के पास थी तथा मैं कम पढ़ा लिखा हूं जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे भाइयों द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 12 एनआरडी द्वारा दिनांक 20.08.2014 को विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करवा लिया, जिसमें मुझ अपीलांट को 0.127 है. भूमि का नुकसान हुआ। क्योकि वसीयत में मुझे 0.127 है. भूमि ज्यादा मिली थी तथा विरास्तन इन्तकाल में कम मिली है जिसका मुझे ना पूरा होने वाला नुकसान हुआ है इसलिए मै अपीलार्थी ग्राम पंचायत द्वारा किये गये इन्तकाल को निरस्त करवाने का अधिकारी हूं क्योकि मुझे मेरे पिता द्वारा वसीयत से मिलने वाली भूमि कम प्राप्त हुई है जब मुझे इकसे संबंध में ज्ञात हुआ तो मैने रेस्पेडेन्टगण को कई बार उक्त विरास्तन इन्तकाल को खारिज करवाने के लिए निवेदन किया तो रेस्पोडेन्टगण ने कहा कि घर की ही बात है टाईम मिलेगा तब रायसिंहनगर में न्यायालय में जाकर करवा लेगें। रेस्पोडेन्टगण मेरे भाई, भतीजा होने के कारण मैने विश्वास कर लिया, कई बार इसके संबंध में पंचायते भी की गई लेकिन पंचायतों में रेस्पोडेन्टगण यही कहते रहे कि हमारी भूमि पर हमने ऋण लिया हुआ है, ऋण भरकर हम विरास्तन इन्तकाल खारिज करवा देंगे, परन्तु दिनांक 07.05.2019 को गांव डाबला में मुझ अपीलांट द्वारा एक पंचायज रखी गई जिसमें मेरे रिश्तेदार व रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए पंचायत में रेस्पोडेन्टगण ने विरास्तन इन्तकाल खारिज करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया तब मुझ अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 08.05.2019 को इन्तकाल की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त की तथा जिला उप पंजीयक अभिलेखागार श्रीगंगानगर से वसीयत की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, बिना किसी देरी के अपने वकील से सम्पर्क कर न्यायालय में अपील पेश की जा रही है, इस इन्तकाल को दर्ज करते समय कोई भी आपत्ति सूचना ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पंचायत द्वारा जारी नहीं की गई और ना ही मुझ अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई और ना ही कोई नोटिस मेरे निवास के बाहर चस्पा किया गया, इस प्रकार से इन्तकाल की जो कार्यवाही की है वह विधिविरूद्व होने के कारण व प्रक्रियाओं को नही अपनाने के कारण विधिविरूद्व है इसलिए ग्राम पंचायत का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है विवादित भूमि मेरे पिता की स्वअर्जित भूमि थी, उनके द्वारा स्वअर्जित भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 को की गई थी तथा विरासतन इन्तकाल से मुझ अपीलार्थी को 0.127 है. भूमि का नुकसान हुआ है। अपील श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत 12 एनआरडी द्वारा किया गया इन्तकाल संख्या 265 को निरस्त किया जाकर चक 4 बीपीएम के प.नं. 115/324 व 114/324 मु.नं. 27 व 28 की 6.072 है. नहरी मय खाला में से मुझ अपीलांट को वसीयत से प्राप्त हुई भूमि चक 4 बीपीएम के मु.नं. 27 प.नं. 115/324 के कि.नं. 2/0.228 है. भूमि व 0.025 खाला कुल 0.253 है.मय खाला, 9/0.253, 12/0.253, 19/0.253, कुल 1.012 है. नहरी मय खाला भूमि का इन्तकाल करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिये जावे।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये रजि. सम्मन तलब किया गया। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड कार्यवाही विवरण रजिस्टर तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1—3—5 ता 9 की तरफ से श्री रविन्द बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा व रेस्पोडेंट संख्या 3 की तरफ श्री अमित कुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। विकास अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 56 दिनांक 08.01.2025 से मूल रिकार्ड से संबंधित रजिस्टर पेश किया।

3. अपीलांट अधिवक्ता ने दिनांक 21.05.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 07.10.2025 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील के पेज नं. 2 के नीचे से 8 वी लाईन पर राजेन्द्र कुमार के पश्चात शिवप्रकाश का नाम लाल स्याही से अंकन किये जाने के आदेश दिये गये।

4. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट अपनी बहस में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. के चक 4 बीपीएम का इन्तकाल सं. 265 दिनांक 20.08.2014 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया हैं रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि इससे संबंधित दावा भी इसी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए पहले वाद पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए। उक्त वसीयत उप पंजीयक मुकलावा से रजिस्ट्रर्ड है वसीयत कर्ता की मृत्यु दिनांक 08.01.2014 को हो चुकी है विवादित भूमि अपीलांट के पिता की स्व अर्जित सम्पति थी अपील धारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत विहित परिसीमा काल के पश्चात ग्रहण की जाती है अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 मियाद अधि. मय शपथ पत्र पेश कर जो कथन अंकित किये है उनकों दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

—:आदेशः—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट अपील एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 12 एनआरडी के चक 4 बीपीएम का इन्तकाल सं. 265 दिनांक 20.08.2014 को निरस्त किया जाता है तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि यदि भूमि स्व अर्जित है तो वसीयत के अनुसार नामान्तरण किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner